

अशासकीय पत्र सं०-1/शा०/14/2020-1/105/2020
लखनऊ दिनांक-21 सितम्बर, 2020

चतुर्थ आवंटन
अनुदान सं०-61
लेखाशीर्षक-3604001960301

आहरण एवं वितरण अधिकारी/
अपर निदेशक(प्रशा०)
पंचायतीराज निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3604001970301
3604001980301

कृपया संयुक्त सचिव, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 शासनादेश संख्या-33/2020/बी-2-189/दस-2020-1/2020 दिनांक 04.09.2020 द्वारा राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिये वर्ष 2020-21 में सामान्य समनुदेशन हेतु प्राविधानित धनराशि रु० 620000.00 लाख में से रु. 516.67 करोड़ त्रिस्तरीय पंचायतों को निम्नानुसार जिला पंचायतों/क्षेत्र पंचायतों/ग्राम पंचायतवार अवमुक्त किया गया है:-

(धनराशि लाख में)

मद	शासनादेश दिनांक 04 सितम्बर, 2020 द्वारा अवमुक्त	प्रिंट प्रशिक्षण संस्थान हेतु 0.15 प्रतिशत धनराशि आवंटित की जा रही है।	पंचायतीराज संस्थाओं हेतु अवशेष धनराशि (2-3)	जिला पंचायतों हेतु परिक्रमी निधि की 01 प्रतिशत धनराशि आवंटित की जा रही है।	आवंटित की जा रही धनराशि (4-5)
1	2	3	4	5	6
जिला पंचायत	7750.05	11.625	7738.425	77.384	7661.041
क्षेत्र पंचायत	7750.05	11.625	7738.425	-	7738.425
ग्राम पंचायत	36166.90	54.250	36112.650	-	36112.650
योग-	51667.000	77.500	51589.500	77.384	51512.116

उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन आवंटित की जा रही है-

- 1- आवंटित की जा रही धनराशि कोषागार से आहरण कर सीधे जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों के खातों में पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से हस्तान्तरित की जायेगी।
- 2- पंचायतीराज संस्थाओं हेतु आवंटित की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर किसी भी दशा में निदेशक, पंचायती राज, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।
- 3- योजना प्रभारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों का बैंक खाता तथा आई०एफ०एस०सी० कोड, जिसमें धनराशि जमा की जा रही है, वह सही है।
- 4- धनराशि के आहरण के एक सप्ताह के भीतर आहरण की सूचना, बाउचर संख्या दिनांक सहित पंचायतीराज अनुभाग-3 उ०प्र० शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
- 5- आवंटित की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिस प्रयोजन के लिये धनराशि आवंटित की रही है। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।
- 6- योजना प्रभारी आवंटित धनराशियों के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा उसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होंगे।

उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक की अनुदान सं0-61 के अन्तर्गत निम्नांकित लेखाशीर्षों के नामे डाला जायेगा-

क्र.सं.	पंचायत	लेखाशीर्ष	धनराशि
1	जिला परिषद/जिला स्तरीय पंचायत	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-196-जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता-03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन-01-सामान्य समनुदेशन-28-समनुदेशन	7750.05
2	ब्लाक पंचायत/मध्यवर्ती स्तरीय पंचायत	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-197-ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तरीय पंचायतों को सहायता-03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन-01-सामान्य समनुदेशन-28-समनुदेशन	7750.05
3	ग्राम पंचायत	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन-01-सामान्य समनुदेशन-28-समनुदेशन	36166.90
योग			51667.000

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ सं0-82 पर अंकित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

Kijal Singh
(किंजल सिंह)

निदेशक,


पंचायतीराज उ0प्र0।

संख्या-1/शा0/14/1/2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. विशेष सचिव, वित्त संसाधन(वित्त आयोग) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
3. विशेष सचिव, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 04.09.2020 के क्रम में।
4. निदेशक पंचायतीराज (लेखा) दसवाँ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5. संयुक्त निदेशक, प्रिट लोहिया भवन, अलीगंज लखनऊ।
6. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उ0प्र0।
8. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।

9. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ०प्र० प्रयागराज।
11. वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-1 दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ०प्र० प्रयागराज-211001
12. उपनिदेशक (पं०)/योजना प्रभारी, राज्य वित्त आयोग, पंचायतीराज निदेशालय, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित है कि तत्काल पंचायतीराज संस्थाओं के खातों में पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से धनराशि हस्तान्तरण कराना सुनिश्चित करें।
13. उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ, लोहिया भवन, अलीगंज लखनऊ।
14. एस०पी०एम०यू०, पंचायतीराज निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।



(ब्रजेश कुमार)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज उ०प्र०।



(11)